

आंध्र में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 8 श्रमिकों की मौत

पटाखा बनाते समय कच्चे माल में गलती से विस्फोट हो गया

अनकापल्ली, 13 अप्रैल। आंध्र प्रदेश में अनकापल्ली जिले के कैलासपट्टनम गांव में रविवार को एक पटाखा बनाने वाली यूनिट में विस्फोट से आठ श्रमिकों की मौत हो गयी और छह अन्य घायल हो गये।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना उस समय हुई जब श्रमिक पटाखा बना रहे थे। इसी दौरान विस्फोटक पदार्थ में गलती से विस्फोट हो गया। जिसमें 8 लोग मारे गए। घायलों को नरसीपट्टनम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीन की हालत बहुत गंभीर बताई गई है।

सुरक्षित बचे श्रमिकों ने मीडिया को बताया कि शादी-ब्याह का मौसम शुरू

■ पटाखा इकाई को शादी-विवाह के मौसम में बहुत ऑर्डर मिले थे। इसके लिये विस्फोटक कच्चे माल का भारी स्टॉक मौजूद था।

होने के कारण पटाखा बनाने वाली यूनिट को भारी ऑर्डर मिले थे। प्रबंधन ने पटाखा बनाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक कच्चा माल स्टॉक किया था, जो पटाखा बनाते समय दुर्घटनावश फट गया। अनकापल्ली जिला कलेक्टर

विजया कृष्णन ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने श्रमिकों की मौत पर दुःख और पीड़ा व्यक्त की है। और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर दुःख व्यक्त किया। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक से विस्तृत जानकारी ली। कई घायलों की गंभीर हालत पर चिंता जतायी।

इस बीच गृह मंत्री वी अनीता घटनास्थल पर पहुंचीं और दुर्घटना स्थल का दौरा किया।

पिकअप नहर में गिरने से 5 की मौत

कोरबा, 13 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रविवार को एक पिकअप के नहर में गिर जाने के कारण नहर के तेज बहाव में दो बच्चे और तीन महिलाओं सहित पांच लोग बह गए, जबकि पांच लोग अपनी जान बचाने में सफल हो गए।

मिली जानकारी के अनुसार, करीब 12 लोग पिकअप में सवार होकर सक्ती

■ नहर के तेज बहाव में दो बच्चे व 3 महिलाएं बह गईं।

जिले के ग्राम रेडा से मुकुंदपुर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पिकअप चालक गाड़ी को छोड़कर भाग निकला है। हादसे की सूचना मिलते ही कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी सहित पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर सेवा के गोताखोरों के साथ पुलिस की भी टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी है।

सुरक्षा की तलाश में मुर्शिदाबाद से 400 लोगों ने पलायन किया

कोलकाता, 13 अप्रैल। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को आरोप लगाया कि वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुई हिंसा और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद जिले के अशांत घुलियान से 400 से अधिक लोग सुरक्षा की तलाश में पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और इतने ही लोग गोली लगने से घायल हुए हैं। इन लोगों ने पड़ोसी मालदा जिले के देवनापुर-सोवापुर ग्राम पंचायत के पार लालपुर हाई स्कूल और बैसनबनगर में शरण ले ली है।

इस बीच, शनिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, केंद्रीय सशस्त्र बलों को उन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है जहां दंगा और आगजनी हुई थी।

संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित किए जाने

■ पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पलायन करने वाले पड़ोसी मालदा जिले में शरण लिये हुए हैं।

की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और शनिवार को उनके क्षत-विक्षत शव बरामद किए गए। पुलिस ने उन सभी चिन्हित इलाकों में रूट मार्च भी किया है, जहां से आगजनी की खबरें आई हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शनिवार शाम से ही समसैरगंज पहुंचे और वहां डेरा जमाए हुए हैं।

अधिकारी ने दावा किया कि जान के डर से लोग नदी पार भागने को मजबूर हुए और मालदा के बैसनबनगर के देवनापुर-सोवापुर जौपी के पार लालपुर हाई स्कूल में शरण ली।

फलोदी से ...

अपील की है कि अगर किसी को नशे के कारोबार से संबंधित कोई भी सूचना हो, तो तुरंत सूचना दे। जानकारी देने वाले को पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

के बाद मंगलवार से ही इलाके में अशांति फैल रही थी। वक्फ अधिनियम को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरुवार को हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मुर्शिदाबाद के घुलियान, समसैरगंज और सुती में लूटपाट, सरकारी वाहनों को जलाने, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घरों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। समसैरगंज में 71 वर्षीय व्यक्ति और उसके 40 वर्षीय बेटे

केरल के ...

■ प्रथम पृष्ठ का शेष) फिर राज्यपाल के पास वो अधिकार कैसे हो सकता है, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है?

केरल के राज्यपाल ने कहा कि, अगर संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, तो फिर विधायिका और संसद की क्या जरूरत है।

अगर सब कुछ माननीय अदालतों द्वारा तय किया जाता है, तो संसद की जरूरत खत्म हो जाती है। यह न्यायपालिका का अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को बड़ी बैच को सौंपना चाहिए था कि खंडपीठ इस पर फैसला लेती।

पंजाब में ...

■ प्रथम पृष्ठ का शेष) कहा कि एन ए ने गोल्डी डिल्लों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है।

इस संबंध में एनडीपीएस विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस थाना एसएसओसी मोहाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

त्रिपुरा: वक्फ अधिनियम विरोधी 8 प्रदर्शनकारियों को 10 दिन की जेल

प्रदर्शनकारियों पर हिंसा भड़काने व पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है

अगरतला, 13 अप्रैल। त्रिपुरा के उनेकोटी जिले के कैलाशहर की एक स्थानीय अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने वाले, कुबझार गांव में हिंसा भड़काने और पुलिस पर हमला करने वाले आठ आरोपियों को रविवार को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

उनेकोटी के पुलिस अधीक्षक पी सुदाम्बिका आर ने कहा कि पुलिस ने घटना के बाद एक विशेष मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। इस घटना में कथित रूप से शामिल कुछ अन्य लोगों के खिलाफ तलाशी अभियान जारी है। इसके साथ ही आगे किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पूरे इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों द्वारा शनिवार को किए गए हिंसक हमले

■ पुलिस के अनुसार, शनिवार को प्रदर्शनकारियों के हिंसक हमले में एक एसडीपीओ व कुछ इंस्पेक्टर सहित 18 पुलिसकर्मी घायल हुए। लाठी चार्ज व अश्रु गैस से 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए।

में एक सब डिविजनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और कुछ इंस्पेक्टर सहित कम से कम 18 पुलिसकर्मी और लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। जहांगीर (51) नामक एक प्रदर्शनकारी

वक्फ कानून...

■ प्रथम पृष्ठ का शेष) महत्ता ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए "उचित बल" प्रयोग किया। उन्होंने कहा, "पहले रैली शांतिपूर्ण थी, लेकिन कुछ उपद्रवी रैली में घुस आए और कानून-व्यवस्था को समस्या पैदा करने की कोशिश की। हालांकि हमने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। करीब 300-400 लोग वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। शांति भंग करने की कोशिश करने वाले सभी अपराधियों पर कानून के तहत आरोप लगाए जाएंगे।"

प्रधानमंत्री को ...

■ प्रथम पृष्ठ का शेष) अपमानित करने का काम करता रहा है। इकबाल ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बताया कि उन्होंने भाजपा की कानूनी टीम के साथ कोतवाली थाना में कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि कानून ऐसे देशविरोधी मानसिकता रखने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा।

बाजवा का, पाक से बम आने का बयान गैर जिम्मेदाराना है- भगवंत मान

पंजाब नेता प्रतिपक्ष बाजवा ने एक चैनल पर दावा किया था कि पाकिस्तान से 50 बम आए हैं

चंडीगढ़, 13 अप्रैल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष परताप सिंह बाजवा के इस कथित बयान को, कि पंजाब में 50 बम लाए जा चुके हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं, 32 बाकी हैं, को साबित करने की चुनौती दी।

मान ने एक वीडियो बयान में कहा कि बाजवा, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, ऐसा गैरजिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य या केन्द्रीय एजेंसियों के पास भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है तो बाजवा के पास जानकारी क्या सीधे पाकिस्तान से आई है? उन्हें और उनकी पार्टी कॉंग्रेस को भी बताना चाहिए कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है?

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि

■ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी राज्य या केन्द्रीय एजेंसियों के पास नहीं है। यदि बाजवा केवल दहशत फैलाना चाहते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

बाजवा के बयान का उद्देश्य केवल दहशत फैलाना है तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि, पंजाब के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बाजवा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर उनसे पूछताछ करने गए हैं।

पुलिस के अनुसार बाजवा ने एक चैनल को साक्षात्कार में बयान दिया था, कि 50 हथगोले पंजाब में आ चुके हैं और उनमें से 18 फट चुके हैं और 32 बाकी हैं। चूंकि यह बेहद संवेदनशील जानकारी है इसलिए पुलिस द्वारा इसके

स्रोत का पता लगाना जरूरी है इसलिए पुलिस बाजवा से पूछताछ करने गई है।

दूसरी तरफ, नेता प्रतिपक्ष परताप सिंह बाजवा ने पुलिस की पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि वह अपने स्रोत की जानकारी नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि वे पंजाब में मंत्री रह चुके हैं और उनके प्रदेश तथा केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों व विदेश मंत्रालय में भी स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उनके स्रोत ने उन्हें फोन कर कहा था कि पंजाब में माहौल बेहद संवेदनशील बनता जा रहा

है, सावधान रहें, क्योंकि उनका परिवार भी आतंकवादी हमलों की जद में आ चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बाजवा ने दावा किया कि पुलिस पूछताछ में उन्होंने पूरा सहयोग किया लेकिन स्रोत नहीं बताया, न बताएंगे। उन्होंने कहा कि स्रोत का खुलासा कोई भी नहीं करता है और वह एक जिम्मेदार, संवैधानिक पद पर है। वह तो सरकार की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इतला करके भी उन्होंने मदद ही की है। पुलिस से सहयोग न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री मान पर 'कुम्भकर्णी नौद' से जागने और पंजाब में बेकाबू हो रहे हालात को संभालने की नसीहत दी।

MARUTI SUZUKI

NEXA

WHERE'S YOUR INSPIRATION TAKING YOU NEXT?

Drive home your favourite NEXA car and explore new horizons.

CREATE. INSPIRE.

3 years 100 000 km WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹1 00 000*

EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹1 00 000*

PER LAKH EMI STARTING FROM ₹1 470*

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS UP TO ₹15 000 IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at 1800-200-6392 1800-102-6392

For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. 3 years or 100 000 km - whichever is earlier. Scruppage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 30th April 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper.

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुरा फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेरा फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1/1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908